विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक– 05.03.2019 को अपराह्न 4:00 बजे से मुख्य आउट फॉल ड्रेन/सिवरेज STP से निकलने वाले शोधित जल का उपयोग सिंचाई एवं कृषि कार्य में करने संबंधी कार्य योजना तैयार करने विषय पर सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :–

दिनांक– 08.02.2019 को आयोजित बैठक में दिए गए निदेश के आलोक में अद्यतन अनुपालन की स्थिति से जल संसाधन विभाग के अभियंताओं एवं परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया।

2. बैठक में मुख्यतः उपयोग होने वाली पाईप की गुणवत्ता, उपयोगिता, एवं औचित्य पर विस्तार से चर्चा की गयी। मुख्य अभियंता, जल संसाधन एवं कंसल्टेंट ने बताया कि रेट की डिस्कवरी के लिए अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गई थी तथा आवश्यकता एवं सम्भाव्यता (Feasibility) के आधार पर इस योजना की प्राक्कलित राशि ₹512.00 करोड़ से घटकर ₹312.00 करोड़ हो जाएगी तथा फाईनल टेंडर और भी कम राशि का होगा।

3. समीक्षोपरांत जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को स्पष्ट निदेश दिया गया कि DPR निर्माण का कार्य सभी आवश्यक पहलूओं को ध्यान में रखते हुए विहित प्रक्रियाओं के अधीन आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करते हुए कार्य प्रारम्भ किया जाय। उपयोग होने वाली पाइप की मानक गुणवत्ता को ध्यान में अवश्य रखा जाय।

4. प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन से DPR निर्माण हेतु अवधि विस्तार के संबंध में (मार्च, 2019 के बाद) प्राप्त अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया।

5. धन्यावाद ज्ञापण के साथ बैठक समाप्त की गयी।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(डॉ० सुभाष शर्मा),
विकास आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–2ब०/ना०नि०–02–06/2017 1543 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–12.3.19

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं जल संसाधन विभाग/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/प्रबंध निदेशक, बुडको/सभी विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/2019
(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०नि०–02–06/2017 1543 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–12.3.19

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

11/3/2019
सरकार के प्रधान सचिव।